चनाराम उर्फ चॉदराम बनाम नन्दाराम व अन्य

किस्म मुकदमा /अपील–एलआर 75/172 सन् 2021 जिला नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपीलार्थी अभिभाषक श्री रोहित सोनी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-10-2021	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अभिभाषक श्री रोहित सोनी मय अपीलार्थी उपस्थित हैं । अपीलार्थी अधिवक्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दिवानी वास्तें अपील विड्रो दिनांकित 27.09.2021 पर एकतरफा सुना गया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व रखी जाती है। (डॉ. वीना प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर	
11-10-2021	पत्रावली निर्णयार्थ पेश हुई। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दिवानी वास्तें अपील विड्रो दिनांकित 27.09.2021 कमोबेस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की ही दौहरोते हुये निवेदन किया गया है कि प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य प्रेमभावना से मौखिक राजीनामा हो चुका है जिसके अनुसार विवादित आराजी बाबत प्रार्थी व उसके परिवार को अप्रार्थी से कोई मतभेद नही रह गया है। राजनामे के अनुसार विवादित आराजी बाबत मतभेद नही रखने हेतु पाबंद रहेगे। फलतः अब विवादित आराजी बाबत प्रार्थी को कोई अनुतोष वांछित नही है। अतः प्रार्थी इस प्रकरण को चलाना भी नही चाहता है और प्रकरण का निस्तारण विड्रो कर इसी स्तर पर करवाने हेतु सहमत है। इस बाबत प्रार्थी के पहचान पत्र की सप्रमाणित फोटो प्रति मय फोटो प्रस्तुत की जा रही है और प्रार्थी स्वय हाजिर अदालत है अतः निवेदन है कि प्रकरण को विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण विड्रो करने की अनुमति प्रदान कर यह प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जावे। बाद मनन बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दिवानी वास्तें अपील विड्रो न्याय हित में स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विड्रो के आधार पर अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (डॉ. वीना प्रधान) संभागीय आयुक्त, अजमेर	

Scanned with CamScanner